"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2015—— भाद्रपद 27, शक 1937

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-09/सात-1/2015. — छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची-एक
(नियम 4 देखिए)

स. क्र. (1)	भूमि का वर्गीकरण (2)	विकास उपकर की दर (3)
1.	कोयले, लौह अयस्क, लाईम स्टोन, बाक्साईट तथा डोलोमाईट खनि पट्टों के अंतर्गत आच्छादित भूमि पर.	वार्षिक खनिज प्रेषण पर 7.50 रुपये प्रतिटन.

(1)	(2)	(3)
2.	उपरोक्त 1 के अलावा खनि पट्टों के अंतर्गत आच्छादित भूमि पर.	वार्षिक देय रायल्टी की 7.50 प्रतिशत राशि.
3.	उपरोक्त 1 तथा 2 के अंतर्गत आच्छादित भूमि के अलावा भूमि पर.	वार्षिक देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति, की राशि का 7.50 प्रतिशत."

2. अनुसूची-दो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"अनुसूची-दो
(नियम 4 देखिए)

स. क्र. (1)	भूमि का वर्गीकरण (2)	पर्यावरण उपकर की दर (3)
1.	कोयले, लौह अयस्क, लाईम स्टोन, बाक्साईट तथा डोलोमाईट खनि पट्टों के अंतर्गत आच्छादित भूमि पर.	वार्षिक खनिज प्रेषण पर 7.50 रुपये प्रतिटन.
2.	उपरोक्त 1 के अलावा खनि पट्टों के अंतर्गत आच्छादित भूमि पर.	वार्षिक देय रायल्टी की 7.50 प्रतिशत राशि.
3.	उपरोक्त 1 तथा 2 के अंतर्गत आच्छादित भूमि के अलावा भूमि पर.	वार्षिक देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति, की राशि का 7.50 प्रतिशत."

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 8th September 2015

NOTIFICATION

No. F 4-09/Seven-1/2015. — In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh (Adhosanrachna Vikas Evam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh (Adhosanrachna Vikas Evam Paryavaran) Upkar

Niyam, 2005, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said Rules,-

1. For Schedule-I, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-I
(See Rule 4)

S. No. (1)	Classification of Land (2)	Rate of Development Cess (3)
1.	On land covered under Coal, Iron Ore, Lime Stone, Bauxite and Dolomite mining leases.	Rupees 7.50 on each tonne of annual dispatch of mineral.
2.	On land covered under mining leases other than 1 above.	7.50 percent of the amount of royalty payable annually.
3.	On land other than land covered under 1 and 2 above.	7.50 percent of the amount of land revenue or rent, as the case may be, payable annually."

2. For Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-II
(See Rule 4)

S. No. (1)	Classification of Land (2)	Rate of Environment Cess (3)
1.	On land covered under Coal, Iron Ore, Lime Stone, Bauxite and Dolomite mining leases.	Rupees 7.50 on each tonne of annual dispatch of mineral.
2.	On land covered under mining leases other than 1 above.	7.50 percent of the amount of royalty payable annually.
3.	On land other than land covered under 1 and 2 above.	7.50 percent of the amount of land revenue or rent, as the case may be, payable annually."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.